

सेवा में,



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

दिनांक- 6-7-2022

विषय— श्रीमती मीना शर्मा द्वारा गया जिलान्तर्गत ईरु मौजा के खाता संख्या-81, प्लॉट संख्या-825, 826, थाना संख्या-617, थाना-वजीरगंज में NH-82 गया-वजीरगंज पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01125 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक 582, दिनांक 30.06.2022,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/144161/2021/164, दिनांक 22.03.2022 द्वारा दो भागों में (A में 1-6 शर्त एवं B में 1-9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रही हूँ—

**भाग-A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.**

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 7,71,390.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270144161486, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- HDFCR52022070580037621 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा 0.01125 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 10,775/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270144161486, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- HDFCR52022070580037621 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, New Delhi के खाता में दिनांक 05.07.2022 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र पूर्व में विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।



भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage - II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगी।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

मीना शर्मा

(मीना शर्मा)

पति-स्व. श्रवण कुमार,

ग्राम-लक्खीबाग मानपुर, बुनियादगंज,

जिला-गया, पिन-823003

38

PM

## AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEW SCHEME TO CHARGE A GOVERNMENT OF INDIA CORPORATION

Jharkhand  
Andhra

## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-07-2022

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Agency Name.     | MINA SHARMA                                   |
| Application No.  | 70144161486                                   |
| MoEF/SG File No. | FP/BR/APPROACH/144161/2021                    |
| Location.        | BIHAR                                         |
| Address.         | Village-Lakhibag Manpur,<br>Buniyadganj, Gaya |
| Amount(in Rs)    | 782165/-                                      |

Amount in Words : Seven Lakh Eighty-Two Thousand One Hundred and Sixty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiary Name:    | BIHAR CAMPA                                                                                                         |
| IFSC Code:           | UBIN0996335                                                                                                         |
| Pay to Account No.   | 1506270144161486<br>Valid only for this<br>challan amount.                                                          |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11, EGO Complex,<br>Phase 1, Lodhi Road, New<br>Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may  
Email: [helpdeskcampa@corpbank.co.in](mailto:helpdeskcampa@corpbank.co.in)

Note: After making the required payment through cha  
even after 7 working days, then kindly mail a copy of  
Email: [cb0371@unionbankofindia.com](mailto:cb0371@unionbankofindia.com)

HDFC RS2022070580037621





कार्यालय, जिला पदाधिकारी, गया के तहत रैखिक परियोजना निर्माण

हेतु FRA, 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या.....2052..... दिनांक.....03-06-2022

वन प्रमण्डल पदाधिकारी का पत्र सं० 4225 दिनांक 15.09.2021 द्वारा गया जिला अन्तर्गत अंचल-वजीरगंज में मौजा-एरू, थाना-वजीरगंज, खाता सं०-81, प्लॉट सं०-825 एवं 826 में गया-वजीरगंज-हिसुआ-नवादा पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु 0.01125 हेक्टर भूमि पर अपव्योजन (Diversion) के क्रम अनुशंसा किया गया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर गया का पत्र सं 428/भू०सु० दिनांक 16.04.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपर्युक्त वर्णित परियोजना क्षेत्र में अंचल-वजीरगंज में मौजा-एरू, थाना-वजीरगंज, खाता सं०-81, प्लॉट सं०-825 एवं 826 में गया-वजीरगंज-हिसुआ-नवादा पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु 0.01125 हेक्टर भूमि पर वर्ष 2001 एवं 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति नहीं है।

प्राप्त अनुशंसा एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

जिला पदाधिकारी  
गया।

**OR**

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13<sup>th</sup> day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011.

District Magistrate  
Gaya